Polity (Model Answer)

DATE : 24-July-2018 **TIME : 06:30 pm**

मुख्य परीक्षा

प्रश्न- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को स्पष्ट करते हुए बताएं कि यह वित्त विधेयक से किस प्रकार भिन्न है? (150 शब्द, 10 अंक)

Money bill is defined in the article-110 of the Indian Constitution. Explaining money bill, describe how it differ from Finance bill? **(150 Words, 10 Marks)**

MODEL ANSWER

उत्तर- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा, यदि उसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रावधान हो-

- किसी कर को लगाना, कम करना या बढ़ाना, उसको नियमित करना या उसमें कोई परिवर्तन करना हो।
- भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई अथवा ली जाने वाली किन्ही वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन।
- भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना अथवा उसमें से धन निकालना।
- किसी व्यय को भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी विधि में धन जमा करना अथवा उसमें से धन निकालना।
- किसी व्यय को भारत की संचित निधि में से किसी भी व्यय के दिए जाने की घोषणा करना या ऐसे व्यय को बढ़ाना हो, इत्यादि।

धन विधेयक और वित्त विधेयक की बीच अंतर-

- कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब वह संविधान के अनुच्छेद-110 के विभिन्न प्रावधानों की पूर्ति करता हो, जबकि वित्त विधेयक आगामी वित्त वर्ष में नए कर या कर में संशोधन से संबंधित होता है।
- धन विधेयक पूरी वैधानिक विधि से गुजरने के बाद लागू होता है, जबकि वित्त विधेयक संसद में पेश होते ही लागू हो जाता है।
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाता है, जबकि वित्त विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित करने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है।
- सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परन्तु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते।

अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

GS World Committed To Excellence